

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 53

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़		8.00	2.86	10.86	8.00	2.68	10.68	10.00	2.63	12.63	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		3451	0.45	2.44	2.89	0.45	2.24	2.69	...	2.24	2.24
2. परियोजना मानीटरिंग		3451	0.50	...	0.50
3. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदान		2852	...	0.37	0.37	...	0.39	0.39	...	0.39	0.39
4. सी.पी.यू. के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन		2852	6.75	...	6.75	6.75	...	6.75	8.50	...	8.50
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान		2552	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	1.00	...	1.00
6. अन्य व्यय		3475	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
कुल जोड़		8.00	2.86	10.86	8.00	2.68	10.68	10.00	2.63	12.63	
ग. आयोजना परिव्यय		विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
		शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		13451	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50
2. लोहा और इस्ताप उद्योग		12852	6.75	...	6.75	6.75	...	6.75	8.50	...	8.50
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र		22552	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	1.00	...	1.00
जोड़		8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00	

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय और नवरत्न और लघु-रत्नों के लिए गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **परियोजना मानीटरिंग:** इसके अन्तर्गत "केन्द्रीय पीएसयू के युक्तियुक्त कर्मचारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन" की स्कीम की मानीटरिंग के लिए व्यय की व्यवस्था है।

3. **विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम केन्द्र को अंशदान:** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम विकास केन्द्र जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान तथा

उत्कृष्ट उत्पादन हेतु सरकारी उद्यमों को अवार्ड प्रदान करने हेतु व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **सी.पी.यू. के युक्तियुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि की लागत के लिए प्रावधान है।

5. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।